



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2018/वैशाख 28, 1940

No. 324]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

सं. 7/2018—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा. का. नि. 463(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उप-नियम 14 के खंड (घ) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 22 की उपधारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख, 31 मार्च, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ), तारीख, 31 मार्च, 2018 को 25 मई, 2018 से विखंडित करती है।

[फा. सं. एस. 31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

राजेन्द्र कुमार जाटव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2018

No. 7/2018-Union Territory Tax

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 22 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017) and section 164 of Central Goods and

Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017) read with clause (d) of sub-rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendation of the Council, hereby rescinds the notification number G.S.R. 316(E) dated the 31st March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 31st March, 2018, with effect from the 25th day of May, 2018.

[F. No. S. 31011/25/2017-ST-I-DoR]

RAJENDRA KUMAR JATAV, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

सं. 8/2018—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 464(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उप-नियम 14 के खंड (घ) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 22 की उपधारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख, 31 मार्च, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ), तारीख, 31 मार्च, 2018 को 25 मई, 2018 से विखंडित करती है।

[फा. सं. एस. 31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

राजेन्द्र कुमार जाटव, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2018

No. 8/2018-Union Territory Tax

G.S.R. 464(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 22 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017) and section 164 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017) read with clause (d) of sub-rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendation of the Council, hereby rescinds the notification number G.S.R. 317(E) dated the 31st March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 31st March, 2018, with effect from the 25th day of May, 2018.

[F. No. S. 31011/25/2017-ST-I-DoR]

RAJENDRA KUMAR JATAV, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

सं. 9/2018—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 465(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उप-नियम 14 के खंड (घ) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 22 की उपधारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख, 31 मार्च, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना सं.सा.का. नि. 318(अ), तारीख, 31 मार्च, 2018 को 25 मई, 2018 से विखंडित करती है।

[फा. सं. एस. 31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

राजेन्द्र कुमार जाटव, अवर सचिव